



सत्यमेव जयते

**वार्षिक रिपोर्ट
और
लेखापरीक्षित लेखे
2018-19**

**राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण
(एन.एफ.आर.ए.)**

**ANNUAL REPORT
AND
AUDITED ACCOUNTS
2018-19**

**National Financial Reporting Authority
(NFRA)**

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए)

वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित लेखे 2018-19

इस वार्षिक रिपोर्ट को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 की उप-धारा 15 के आलोक में तैयार किया गया है जिसका पाठ इस प्रकार है :

“राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यथा-निर्धारित रूप और प्रत्येक वित्त वर्ष के समय के अनुसार अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें वित्तीय वर्ष के दौरान इसके कार्यकलापों का पूर्ण विवरण दिया जाएगा और इसकी प्रति केंद्रीय सरकार को अग्रेषित की जाएगी तथा केंद्रीय सरकार वार्षिक रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखाकार द्वारा संपरीक्षित रिपोर्ट संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगी।”

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण
7वां – 8वां तल, हिन्दुस्तान टाइम्स बिल्डिंग,
कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001

सूची

| क्रम संख्या | अध्याय | पृष्ठ संख्या |
|-------------|---|--------------|
| 1. | अध्याय 1 – प्रस्तावना | ३ |
| 2. | अध्याय 2 –राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) का गठन | ४-७ |
| 3. | अध्याय 3 – प्राधिकरण के कर्तव्य और कार्य | ८-१० |
| 4. | अध्याय 4 –प्राधिकरण द्वारा प्रशासित होने वाली कंपनियों और कारपोरेट निकायों की श्रेणियां | ११-१२ |
| 5. | अध्याय 5 –एनएफआरए द्वारा लेखांकन मानकों की निगरानी और प्रवर्तन अनुपालन करना | १३ |
| 6. | अध्याय 6 - एनएफआरए द्वारा लेखापरीक्षा मानकों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करना | १४-१५ |
| 7. | अध्याय 7 – एनएफआरए द्वारा सेवा की गुणवत्ता की निगरानी करना और उसे बेहतर बनाने के लिये उपाय सुझाना | १६ |
| 8. | अध्याय 8 – एनएफआरए द्वारा जांच की शक्ति | १७-१८ |
| 9. | अध्याय 9 - एनएफआरए द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाहियां | १९-२२ |
| 10. | अध्याय 10 – वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान किए गए कार्यकलाप | २३-२६ |
| 11. | अध्याय 11 – एनएफआरए के लेखा परीक्षित लेखे | २७ |
| 12. | अनुलग्नक | २८ |
| | अनुलग्नक -I- राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का चार्टर | २९ |

अध्याय 1

प्रस्तावना

- 1.1 एनएफआरए का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 के अनुसार 1.10.2018 को किया गया है।
- 1.2 एनएफआरए के गठन की आवश्यकता लेखांकन में घोटालों के आलोक में, स्वतंत्र नियामकों की स्थापना के लिए लेखापरीक्षा मानकों के प्रवर्तन और लेखापरीक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा इसके द्वारा कंपनियों के वित्तीय प्रकटीकरण में निवेशक और सार्वजनिक विश्वास बढ़ाने के लिए विश्व में विभिन्न न्यायाधिकारों की आवश्यकता के कारण की गई है।

अध्याय 2

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) का गठन

2.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 के अनुसार दिनांक 01.10.2018 को एनएफआरए का गठन किया गया है। एनएफआरए के गठन और कार्यप्रणाली के बारे में 2018-19 के दौरान जारी विभिन्न राजपत्र अधिसूचनाएं निम्नानुसार हैं :

- i. केंद्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 132 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 01 अक्टूबर, 2018 को कारपोरेट कार्य मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना संख्या का.आ. 5099(अ) तारीख 01.10.2018 के द्वारा राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के गठन की तारीख के रूप में नियत किया।
- ii. केंद्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना संख्या का.आ. 5098(अ) तारीख 01.10.2018 के द्वारा 01 अक्टूबर, 2018 को उस तारीख के रूप में नियत किया जब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 की उप-धारा (1) और उप-धारा (12) के उपबंध प्रवृत्त होंगे।
- iii. केंद्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना संख्या का.आ.5385(अ) तारीख 24.10.2018 के द्वारा 01 अक्टूबर, 2018 को उस तारीख के रूप में नियत किया जब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 की उप-धारा (2), उप-धारा (4), उप-धारा (5), उप-धारा (10), उप-धारा (13), उप-धारा (14) और उप-धारा (15) के उपबंध प्रवृत्त होंगे।
- iv. केंद्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 132 की उप-धारा (2) और उप-धारा (4), धारा 139 की उप-धारा (1) और धारा 469 की उप-धारा (1) द्वारा राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नियम, 2018 बनाए। इन नियमों को कारपोरेट कार्य मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1111(अ) तारीख 13.11.2018 के द्वारा अधिसूचित किया गया।
- v. केंद्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 132 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना संख्या का.आ.1068(अ) तारीख 28.02.2019 के द्वारा राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के 7 अंशकालिक संदस्यों को नियुक्त किया।

2.2 प्राधिकरण की संरचना:

2.2.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 की उप-धारा (3) का कथन इस प्रकार है :

“राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण एक अध्यक्ष, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित तथा लेखा, संपरीक्षा, वित्त या विधि में विशेषज्ञता रखने वाला व्यक्ति होगा और पंद्रह से अनधिक उतने अन्य सदस्यों से, जिसमें अंशकालिक और पूर्णकालिक सदस्य हैं, मिलकर बनेगा, जितने विहित किए जाएं:

परंतु अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें तथा रीति ऐसी होगी जो विहित की जाएं:

परंतु यह और अध्यक्ष और सदस्य अपनी नियुक्ति के संबंध में कोई प्रतिकूल हित या स्वतंत्रता की कमी न होने के बारे में केंद्रीय सरकार को विहित प्ररूप में घोषणा करेगा या करेंगे:

परंतु यह भी कि अध्यक्ष और ऐसे सदस्य, जो राष्ट्रीय वित्त रिपोर्टिंग प्राधिकरण के पूर्णकालिक नियोजन में हैं, अपनी नियुक्ति के दौरान और पद पर न रहने के दो वर्ष पश्चात् तक किसी संपरीक्षा फर्म (जिसके अंतर्गत संबंधित परामर्शी फर्म भी हैं) के साथ सहयोजित नहीं होंगे।”

टिप्पण : धारा 132 की उप-धारा (3) को परिणामस्वरूप कारपोरेट कार्य मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना संख्या 41 तारीख 31.07.2019 के द्वारा संशोधित किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की उप-धारा (3) के बारे में संशोधन इस प्रकार है :

“उप-धारा (3) के बाद, निम्नलिखित उपधाराओं को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(3क) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के प्रत्येक प्रभाग की अध्यक्षता अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत पूर्णकालिक सदस्य द्वारा की जाएगी।

“(3ख) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग का कार्यकारी निकाय होगा जिसमें उप-धारा (2) [खंड (क) के अलावा] और उप-धारा (4) के अधीन अपने कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए ऐसे प्राधिकरण का अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य शामिल होंगे।”

2.3 राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की रीति और अन्य सेवा शर्तें एवं निबंधन) नियम, 2018 कारपोरेट कार्य मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 262(अ) तारीख 21.03.2018 के द्वारा अधिसूचित किए गए। उक्त नियमों का नियम 3 का कथन इस प्रकार है :

प्राधिकरण का संगठन. -

(1) प्राधिकरण में केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त निम्नलिखित व्यक्ति होंगे -

- (क) एक अध्यक्ष;*
- (ख) तीन पूर्णकालिक सदस्य और*
- (ग) नौ अंशकालिक सदस्य।*

(2) अध्यक्ष प्रतिष्ठा प्राप्त, योग्य, सत्यनिष्ठ व्यक्ति होंगे जो लेखांकन, लेखापरीक्षा, वित्त या विधि के क्षेत्र में न्यूनतम पच्चीस वर्षों की विशेषज्ञता और अनुभव रखते हों।

(3) पूर्णकालिक सदस्य योग्य, सत्यनिष्ठ तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे जो लेखांकन, लेखापरीक्षा, वित्त या विधि के क्षेत्र में न्यूनतम बीस वर्षों का विशेषज्ञता और अनुभव रखते हों।

(4) अध्यक्ष और सभी सदस्य नियुक्त किए जाने से पहले इन नियमों में उपाबंध प्ररूप में केंद्रीय सरकार को यह पुष्टि करते हुए घोषणा करेंगे कि उनकी अध्यक्ष या सदस्य के रूप में ऐसी नियुक्ति के संबंध में कोई हितों का विरोध या स्वतंत्रता में कमी नहीं है, ऐसा नहीं होने पर उनकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

(5) अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य अपनी नियुक्ति के दौरान ऐसी नियुक्ति की समाप्ति के दो वर्ष बाद तक संबंधित परामर्शी फर्मों सहित किसी लेखा परीक्षा फर्म के सहयोगी नहीं होंगे।

(6) अंशकालिक सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिनका ऐसे कोई वित्तीय या अन्य हित जिससे इनके अंशकालिक सदस्य के रूप में कार्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो, नहीं होंगे।”

2.4 श्री आर श्रीधरन को 01.10.2018 को एनएफआरए का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और डा. प्रसेनजीत मुखर्जी को एनएफआरए का सदस्य नियुक्त किया गया। (डा. प्रसेनजीत मुखर्जी ने 03.10.2018 को कार्यभार ग्रहण किया)।

2.5 केंद्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 132 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कारपोरेट कार्य मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना संख्या का.आ. 1068(अ) तारीख 28.02.2019 के द्वारा राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के 7 अंशकालिक सदस्यों को नियुक्त किया। उक्त राजपत्र अधिसूचना का कथन इस प्रकार है :

“केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 132 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित व्यक्तियों को तुरंत प्रभाव से राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) के अंशकालिक सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात्:-

- (i) श्री के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय;
- (ii) श्री राम मोहन जोहरी, महानिदेशक, सूचना प्रणाली और लेखा परीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (आईसीआईएसए), नियंत्रक और महालेखा परीक्षक;
- (iii) सुश्री सुधा बालाकृष्णन, मुख्य वित्तीय अधिकारी, भारतीय रिज़र्व बैंक;
- (iv) श्री अमरजीत सिंह, कार्यकारी निदेशक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड;
- (v) अध्यक्ष, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई);
- (vi) अध्यक्ष, लेखा मानक बोर्ड, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई);
- (vii) अध्यक्ष, ऑडिटिंग बोर्ड, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई)।

2.6 एनएफआरए में स्टाफ की नियुक्ति की कार्यवाही जारी है।

अध्याय 3

प्राधिकरण के कर्तव्य और कार्य

3.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 की उपधारा 2 और उपधारा 4 एनएफआरए के कर्तव्यों और कार्यों को परिभाषित करती हैं।

3.2 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 की उपधारा (2) इस प्रकार कथन करती है:

“तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण-

(क) यथास्थिति, कंपनियों या कंपनियों के वर्ग या उनके संपरीक्षकों द्वारा अंगीकृत की जाने संबंधी लेखांकन और संपरीक्षा नीतियों और मानकों को निश्चित और अधिकथित करने में केंद्रीय सरकार को सिफारिशें करेगा;

(ख) लेखांकन और संपरीक्षा मानकों के अनुपालन को ऐसी रीति में मानीटर और प्रवृत्त करेगा, जो विहित की जाए;

(ग) ऐसे मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने से संबद्ध वृत्तियों की सेवाओं की क्वालिटी का निरीक्षण करेगा और सेवाओं की क्वालिटी में सुधार के लिए अपेक्षित उपायों और ऐसे अन्य संबंधित विषयों का, जो विहित किए जाएं, सुझाव देगा; और

(घ) खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) से संबंधित ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा, जो विहित किए जाएं।”

3.3 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 की उपधारा (4) इस प्रकार कथन करती है:

“तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण को,-

(क) स्वप्रेरणा से या केंद्रीय सरकार द्वारा उसको किए गए किसी निर्देश पर, निगमित निकायों या व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 के अधीन रजिस्ट्रीकृत चार्टर्ड अकाउंटेंटों के किसी सदस्य या फर्म द्वारा किए गए वृत्तिक या अन्य कदाचार के मामलों में अन्वेषण करने की शक्ति होगी;

परंतु कोई अन्य संस्थान या निकाय कदाचार के ऐसे मामलों में, जहां राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने इस धारा के अधीन कोई अन्वेषण आरंभ किया है, किन्हीं कार्यवाहियों को आरंभ या जारी नहीं रखेगा;

(ख) वैसी ही शक्तियां प्राप्त होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में, निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी वाद का विवरण करते समय निहित होती हैं, अर्थात्:-

- (i) लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों का, ऐसे स्थान पर और ऐसे समय पर जो राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रकटीकरण और पेश किया जाना;
- (ii) व्यक्तियों को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उनकी परीक्षा करना;
- (iii) खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की किन्हीं बहियों, रजिस्ट्रों और अन्य दस्तावेजों का किसी स्थान पर निरीक्षण करना;
- (iv) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;

(ग) जहां वृत्तिक या अन्य कदाचार साबित हो जाता है, वहां-

- (अ) (i) व्यष्टियों की दशा में कम से कम एक लाख रुपए की शास्ति, किंतु जो प्राप्त फीस के पांच गुना तक की हो सकेगी; और
- (ii) फर्मों की दशा में, कम से कम दस लाख रुपए की शास्ति, किंतु जो प्राप्त फीस के दस गुना तक की हो सकेगी, अधिरोपित करना;

(आ) सदस्य या फर्म को चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ड) में निर्दिष्ट भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के सदस्य के रूप में व्यवसाय करने में अपने को लगाने से, छह मास की न्यूनतम अवधि के लिए या दस वर्ष से अनधिक की ऐसी उच्चतर अवधि के लिए जो राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित की जाए, विवर्जित करने संबंधी आदेश करने की शक्ति होगी।

स्पष्टीकरण- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "वृत्तिक या अन्य कदाचार" पद का वही अर्थ होगा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 22 में उसका है।"

टिप्पण: एनएफआरए द्वारा लगाई जाने वाली शास्तियां कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 की संख्या 22) के द्वारा संशोधित की गई हैं। कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019 कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 41, तारीख 31.07.2019 द्वारा बाद में अधिसूचित किया गया। शास्तियों के संबंध में संशोधन इस प्रकार है:

“उपधारा (4), के खंड (ग), में उपखंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“ (ख) सदस्य या फर्म को-

न्यूनतम 6 महीने की अवधि या राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्धारित ऐसी उच्चतर अवधि जो दस वर्षों से अधिक न हो, के लिए,

I. वित्तीय विवरणों के संबंध में किसी लेखापरीक्षक या आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त होने या किसी लेखापरीक्षा या किसी कंपनी या कारपोरेट निकाय के कार्यों और कार्यकलापों की आंतरिक लेखापरीक्षा का दायित्व लेने से; या

II. धारा 247 के अधीन यथाविहित किसी प्रकार का मूल्यांकन करने से

वंचित किया जाएगा।”

अध्याय 4

प्राधिकरण द्वारा शासित की जाने वाली कंपनियों और कारपोरेट निकायों की श्रेणियां

4.1 प्राधिकरण द्वारा शासित की जाने वाली कंपनियों और कारपोरेट निकायों की श्रेणियां राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नियम, 2018 के नियम 3 के उपनियम (1) द्वारा निर्धारित की गई हैं।

4.2 एनएफआरए नियम, 2018 के नियम 3 का उपनियम (1) इस प्रकार है:

“प्राधिकरण द्वारा शासित कंपनियों और कारपोरेट निकायों की श्रेणियां:-

(1) प्राधिकरण के पास धारा 132 की उपधारा (2) के अधीन लेखापरीक्षा मानकों की निगरानी करने और उनका अनुपालन करने, सेवा की गुणवत्ता की देखरेख करने या ऐसी धारा की उपधारा (4) के अधीन निम्नलिखित कंपनियों और कारपोरेट निकायों की श्रेणियों के लेखापरीक्षकों के लेखांकन मानकों और लेखापरीक्षकों की जांच करने का अधिकार होगा, अर्थात्:-

- (क) ऐसी कंपनियां जिनकी प्रतिभूतियां भारत या भारत के बाहर किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं;*
- (ख) ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक पांच सौ करोड़ रूपए से अन्यून की प्रदत्त पूंजी या एक हजार करोड़ रूपए से अन्यून के वार्षिक व्यापारावर्त या 500 करोड़ रूपए से अन्यून कुल वर्तमान ऋण, डिबेंचर और जमा वाली असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियां;*
- (ग) बीमा कंपनियां, बैंककारी कंपनियां, बिजली की आपूर्ति करने वाली कंपनियां, तत्समय प्रवृत्त किसी विशेष अधिनियम या इस अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) के खंड (ख), खंड (ग), खंड (घ), खंड (ङ) और खंड (च) के अनुसार किसी निगमित कारपोरेट निकाय द्वारा शासित कंपनियां;*
- (घ) केंद्रीय सरकार द्वारा जनहित में प्राधिकरण को की गई सिफारिश से संबंधित किसी कारपोरेट निकाय या कंपनी या व्यक्ति या कारपोरेट निकाय की किसी श्रेणी या कंपनियां या एक से अधिक व्यक्ति; और*

(ड) भारत के बाहर निगमित या रजिस्ट्रीकृत कारपोरेट निकाय, जो खंड (क) से खंड (घ) में यथासंदर्भित भारत में निगमित या रजिस्ट्रीकृत किसी कंपनी या कारपोरेट निकाय का अनुषंगी या सहायक कंपनी है, यदि ऐसी अनुषंगी या सहायक कंपनी की आय का मूल्य ऐसी कंपनी या कारपोरेट निकाय की समेकित आय या समेकित निवल आय के 20 प्रतिशत से अधिक हो; खंड (क) से खंड (घ) में संदर्भित, जैसा भी मामला हो।”

अध्याय 5

एनएफआरए द्वारा लेखांकन मानकों की निगरानी और प्रवर्तन अनुपालन करना

5.1 प्राधिकरण द्वारा लेखांकन मानकों की निगरानी और प्रवर्तन अनुपालन को एनएफआरए नियम, 2018 के नियम 7 द्वारा निर्धारित किया गया है, जो इस प्रकार है:

“लेखांकन मानकों की निगरानी और उनका अनुपालन सुनिश्चित करना.-

(1) प्राधिकरण, नियम 3 के अधीन नियंत्रित कंपनी या कारपोरेट निकाय द्वारा अधिनियम के अधीन लेखांकन मानक की निगरानी करने और अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, ऐसी कंपनी या कारपोरेट निकाय, जैसा भी मामला हो, के वित्तीय विवरण की समीक्षा कर सकता है, और यदि अपेक्षित हो, ऐसी कंपनी या कारपोरेट निकाय इसके लेखापरीक्षक को लिखित सूचना द्वारा ऐसी कंपनी या कारपोरेट निकाय से संबंधित अतिरिक्त सूचना या स्पष्टीकरण संगत दस्तावेज, सूचना में यथाविहित उचित समय के भीतर उपलब्ध कराने के निदेश दे सकता है।

(2) प्राधिकरण ऐसी कंपनी या कारपोरेट निकाय के वित्तीय विवरणों की समीक्षा के संबंध में अतिरिक्त सूचना या स्पष्टीकरण हेतु कंपनी या कारपोरेट निकाय के अधिकारियों और इसके लेखापरीक्षक की वैयक्तिक रूप से उपस्थिति की अपेक्षा कर सकता है।

(3) प्राधिकरण जब तक कि उसके पास जनहित में ऐसा न करने के कारण न हो और इन कारणों को लिखित में रिकॉर्ड नहीं किया गया हो, तब तक अपने वेबसाइट पर गैर अनुपालन संबंधी कारणों को ऐसी रीति जैसा कि उचित समझे, प्रकाशित करेगा।

(4) यदि प्राधिकरण द्वारा यह पाया गया या उसके पास यह विश्वास करने के कारण हो कि किसी लेखांकन मानक का उल्लंघन किया गया है या किया जा सकता है, तो प्राधिकरण द्वारा अपने संबंधित प्रभाग के माध्यम से आगे की जांच या प्रवर्तन कार्य के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।”

अध्याय 6

एनएफआरए द्वारा लेखापरीक्षा मानकों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करना

6.1 प्राधिकरण द्वारा लेखापरीक्षा मानकों की निगरानी और प्रवर्तन अनुपालन एनएफआरए नियम, 2018 के नियम 8 द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जो इस प्रकार कथित करता है:

“लेखापरीक्षा मानक की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करना.-

(1) प्राधिकरण, नियम 3 के अधीन शासित कंपनी या कारपोरेट निकाय द्वारा अधिनियम के अधीन लेखापरीक्षा मानक की निगरानी करने और अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित कार्य करेगा:-

(क) लेखापरीक्षा से संबंधित चलन कागजों और संचार (जिसमें लेखापरीक्षा योजना और अन्य लेखापरीक्षा दस्तावेज भी शामिल हैं) की समीक्षा करना;

(ख) लेखापरीक्षक की गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और लेखापरीक्षक द्वारा प्रणाली दस्तावेजीकरण की रीति का मूल्यांकन करना; और

(ग) लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा, पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं के ऐसे अन्य परीक्षण जैसा कि आवश्यक या उचित समझे, करना।

(2) प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित है कोई अपनी शासित पद्धति और आंतरिक प्रक्रियाओं जिसे लेखापरीक्षा गुणवत्ता बढ़ाने, प्रतिष्ठा की रक्षा करने और जोखिम कम करने जिसमें लेखापरीक्षक की विफलता का जोखिम भी शामिल हैं की रिपोर्ट करेगा और रिपोर्ट के संबंध में ऐसी कार्रवाई, जैसा भी उचित समझे करेगा।

(3) प्राधिकरण द्वारा लेखापरीक्षक के आचरण के संबंध में अतिरिक्त सूचना या स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु अतिरिक्त सूचना की मांग या लेखापरीक्षक की वैयक्तिक उपस्थिति अपेक्षित की जा सकेगी।

(4) प्राधिकरण संगत उद्योग की लेखापरीक्षा में अपने अधिकारियों द्वारा या पर्याप्त अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों के माध्यम से कार्यकलापों की निगरानी और प्रवर्तन करेगा।

(5) प्राधिकरण जब तक कि उसके पास जनहित में ऐसा न करने के कारण न हो और इन कारणों को लिखित में रिकॉर्ड नहीं किया गया हो, तब तक अपने वेबसाइट पर गैर अनुपालन संबंधी कारणों को ऐसी रीति जैसा कि उचित समझे, प्रकाशित करेगा।

(6) प्राधिकरण जब तक कि उसके पास जनहित में ऐसा न करने के कारण न हो और इन कारणों को लिखित में रिकॉर्ड नहीं किया गया हो, तब तक स्वामित्व संबंधी या गोपनीय सूचना प्रकाशित नहीं करेगा।

(7) प्राधिकरण द्वारा केंद्र सरकार को सूचना हेतु पृथक रिपोर्ट भेजी जाएगी जिसमें स्वामित्व संबंधी या गोपनीय सूचना विहित हो।

(8) यदि प्राधिकरण द्वारा यह पाया गया या उसके पास यह विश्वास करने के कारण हो कि किसी लेखापरीक्षक द्वारा किसी कानून या व्यवसायिक या अन्य मानक का उल्लंघन किया गया है या किया जा सकता है, तो प्राधिकरण द्वारा अपने संबंधित प्रभाग के माध्यम से आगे की जांच या प्रवर्तन कार्य के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।”

अध्याय 7

एनएफआरए द्वारा सेवा गुणवत्ता की निगरानी करना और उसे बेहतर बनाने के लिए उपाय सुझाना

7.1 एनएफआरए द्वारा सेवा गुणवत्ता की निगरानी करना और बेहतर बनाने के लिए उपाय सुझाना एनएफआरए नियम, 2018 के नियम 9 द्वारा निर्धारित किया गया है, जो इस प्रकार है:

“सेवा गुणवत्ता की निगरानी करना और इसको बेहतर बनाने के लिए उपाय सुझाना.-

(1) प्राधिकरण, अपनी समीक्षा के आधार पर, किसी लेखा-परीक्षक को लेखापरीक्षा गुणवत्ता जिसमें, लेखापरीक्षा उपायों, गुणवत्ता नियंत्रण, और लेखापरीक्षा रिपोर्टों में परिवर्तन सम्मिलित हैं, को बेहतर बनाने के लिए उपाय करने और समय-सीमा के साथ विस्तृत योजना विनिर्दिष्ट करने के निदेश दे सकता है।

(2) यह लेखापरीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह अपेक्षित सुधार करे और प्राधिकरण को यह स्पष्ट करते हुए एक रिपोर्ट भेजे कि लेखापरीक्षक ने किस प्रकार प्राधिकरण द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन किया है।

(3) प्राधिकरण, लेखापरीक्षक द्वारा किए गए सुधारों की निगरानी करेगा और लेखापरीक्षक द्वारा किए गए सुधारों के आधार पर उचित कार्रवाई करेगा।

(4) प्राधिकरण, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अधीन गठित गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड को नियम 3 में निर्दिष्ट कंपनियों या कारपोरेट निकायों के लेखापरीक्षकों की सेवा की गुणवत्ता की निगरानी से संबंधित मामले भेज सकेंगे या बोर्ड से ऐसे लेखापरीक्षकों या कंपनियों या कारपोरेट निकायों के संबंध में किसी प्रकार की रिपोर्ट या सूचना, जैसा उचित समझे, के विषय में पूछ सकेगा।

(5) प्राधिकरण निरीक्षण या निगरानी कार्यकलापों के लिए विशेषज्ञों की सहायता ले सकेगा।”

अध्याय 8 एनएफआरए द्वारा जांच की शक्ति

8.1 एनएफआरए द्वारा जांच की शक्ति एनएफआरए नियम, 2018 के नियम 10 द्वारा निर्धारित की गई है, जो इस प्रकार हैं:

“जांच की शक्ति: -

(1) यदि प्राधिकरण द्वारा:-

(क) केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (4) के अधीन किसी व्यवसायिक या अन्य कदाचार के मामले में जांच के संदर्भ प्राप्त किए गए हैं:-

(ख) अनुपालना या निरीक्षण कार्यकलापों के आधार पर किसी मामले की जांच करने का निर्णय लिया गया है; या

(ग) इस उद्देश्य के लिए कारण लेखबद्ध करने के पश्चात्, किसी व्यवसायिक या अन्य कदाचार के मामले में स्वप्रेरणा से जांच करने का विनिश्चय किया गया है;

तो प्राधिकरण जांच और अन्य कार्रवाई करने वाले अपने प्रभाग को मामला अग्रेषित करेगा।

(2) यदि, जांच के दौरान, प्राधिकरण के पास ऐसा विश्वास करने का साक्ष्य हो, कि किसी कंपनी या कारपोरेट निकाय द्वारा अधिनियम या नियमों के अधीन अपेक्षाओं जिसमें एक करोड़ या उससे अधिक की राशि का कपट शामिल है या हो सकता है, का अनुपालन नहीं किया है, तो वह अपने निष्कर्ष को केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट करेगा।

(3) इन नियमों के प्रारंभ पर -

(क) नियम 3 में संदर्भित कंपनियों के लेखापरीक्षकों के विरुद्ध 'व्यवसायिक या अन्य कदाचार' के मामले के संबंध में प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही शुरू की जाएगी और किसी अन्य संस्थान या निकाय द्वारा ऐसे लेखापरीक्षकों के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी;

परंतु प्राधिकरण द्वारा इस नियम के अधीन जांच शुरू किए जाने के पश्चात् किसी अन्य संस्थान या निकाय द्वारा कदाचार के ऐसे मामलों में किसी प्रकार की कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी;

(ख) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 और तदधीन बने विनियमों के उपबंधों के अनुसार भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा नियम 3 में संदर्भित कंपनियों या कारपोरेट निकायों के लेखापरीक्षकों के अलावा अन्य के विरुद्ध व्यवसायिक या अन्य कदाचार के मामलों के संबंध में कार्यवाही जारी रहेगी।”

अध्याय 9

एनएफआरए द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाहियां

9.1 एनएफआरए द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाहियों संबंधी शक्ति एनएफआरए नियम, 2018 के नियम 11 द्वारा निर्धारित की गई हैं, जो इस प्रकार हैं:

अनुशासनात्मक कार्यवाही :

(1) केंद्रीय सरकार द्वारा प्राप्त संदर्भों या इसकी निगरानी, प्रवर्तन या निरीक्षण कार्यकलापों की कमियों या रिकॉर्ड पर अन्यथा उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर, यदि प्राधिकरण को यह विश्वास हो कि धारा 132 की उपधारा (4) के अधीन स्वीकार्य कार्यवाही करने के पर्याप्त कारण विद्यमान हैं, तो प्राधिकरण द्वारा इस मामले को संबंधित विभाग में भेजा जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षक को कारण बताओ सूचना जारी की जाएगी।

(2) कारण बताओ सूचना लिखित में होनी चाहिए और उसमें अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित कथन होगा –

(क) अधिनियम या नियमों के उपबंध जिसके अधीन इसे जारी किया गया है;

(ख) अभिकथित तथ्यों के ब्यौरे;

(ग) अभिकथित तथ्यों के समर्थन में साक्ष्यों के ब्यौरे;

(घ) अधिनियम, नियम या लेखांकन मानक या लेखापरीक्षा मानक के उपबंध जिनका अभिकथित रूप से उल्लंघन हुआ है, अथवा वह रीति जिसने कथित रूप से जनहित को प्रभावित किया है।

(ङ) अभिकथन प्रमाणित हो जाने की स्थिति में, प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही या जारी किए जाने वाले निदेश;

(च) वह समयसीमा या रीति जिसके अंतर्गत लेखापरीक्षक द्वारा कारण बताओ सूचना का उत्तर देना अपेक्षित होगा;

(छ) कारण बताओ सूचना का उत्तर न दे पाने के परिणाम; और

(ज) कारण बताओ सूचना का निपटान करने हेतु पालन की जाने वाली प्रक्रिया।

(3) कारण बताओ सूचना से संबंधित दस्तावेजों और जांच का अन्य अभिलेखों की रिपोर्ट से संगत भाग के उद्धरण की प्रतियां संलग्न की जाएंगी।

(4) लेखापरीक्षक को निम्नलिखित रीति से कारण बताओ सूचना भेजी जाएगी, अर्थात्-

(क) लेखापरीक्षक को उसके द्वारा या भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (यदि अपेक्षित हो तो प्राधिकरण) द्वारा सम्यक रूप से रसीद सहित रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से भेजा जाएगा, या

(ख) इसके द्वारा प्रदान किए गए लेखापरीक्षक को या भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (यदि अपेक्षित हो तो प्राधिकरण) द्वारा दिए गए ई-मेल पते में उचित इलेक्ट्रानिकी माध्यम से भेजा जाएगा

परंतु यह कि जहां लेखापरीक्षक एक फर्म है तो -

(क) फर्म को भेजी गई सूचना को सूचना भेजने की तारीख से उस फर्म के सभी भागीदारों या कर्मचारियों को भेजी गई सूचना समझी जाएगी;

(ख) सूचना में फर्म से संबंधित भागीदार या भागीदारों, जो इस आरोप का उत्तर देने के लिए उत्तरदायी होंगे, के नाम का प्रकटीकरण करने के विषय में पूछा जा सकता है;

(ग) वह भागीदार, जिसके नाम का फर्म द्वारा प्रकटीकरण किया गया है, फर्म के विरुद्ध आई सूचना का उत्तर देने के लिए उत्तरदायी होगा, और पूर्व या वर्तमान किसी भागीदार द्वारा फर्म के विरुद्ध लगाए गए अभिकथनों का उत्तरदायित्व नहीं लिया गया तो, वह फर्म संपूर्णता में ऐसे अभिकथनों का उत्तर देने के लिए उत्तरदायी होगी और कथित कदाचार की तारीख से उस फर्म के सभी भागीदार और कर्मचारी, इस अभिकथन का उत्तर देने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(5) प्रभाग, प्राधिकरण द्वारा यथा विनिर्दिष्ट सारांश प्रक्रिया के माध्यम से इस समनुदेशन के नब्बे दिनों की अवधि के भीतर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए उचित आदेश द्वारा कारण बताओ सूचना का निपटान करेगा, जिसमें व्यक्तिगत रूप से सुनने की आवश्यकता या संगतता का एक अवसर सम्मिलित है, और लेखापरीक्षक द्वारा दिए गए सभी सुनवाईयों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात्, संगत तथ्यों और परिस्थितियों और सामग्रियों को अभिलिखित करेगा।”।

टिप्पण: एनएफआरए नियम, 2018 का नियम 11 उपनियम 5 कारपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 05.09.2019 की राजपत्र अधिसूचना संख्या सा.का.नि.636(अ) के माध्यम से बाद में संशोधित कर दिया गया है। नियम 11 से संबंधित संशोधन इस प्रकार हैं:

“उक्त नियमों में नियम 11 के उपनियम (5) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

परंतु कि जहां उक्त अवधि के भीतर निपटान नहीं होता है तो प्रभाग उक्त अवधि के भीतर कारण बताओ नोटिस न भेजे जाने के कारणों को अभिलिखित करेगा और अध्यक्ष इस प्रकार अभिलिखित किए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, पूर्वोक्त अवधि, जैसा वह आवश्यक समझे, को ऐसी अतिरिक्त अवधि तक बढ़ा सकता है जो 90 दिनों से अधिक नहीं होगी:

परंतु यह भी कि अध्यक्ष, यदि वह उचित समझे, इस नियम के अधीन उक्त अवधि में एक से अधिक बार वृद्धि कर सकता है।”

“(6) कारण बताओ सूचना के निपटान आदेश में निम्नलिखित उपबंध होगा:-

(क) कोई कार्रवाई नहीं;

(ख) सावधानी;

(ग) धारा 132 की उपधारा (4) के खंड (ग) के उपखंड (क) के अधीन लेखापरीक्षक के विरुद्ध शास्ति अधिरोपित करने और/या धारा 132 की उपधारा (4) के खंड (ग) के उपखंड (ख) के अधीन लेखापरीक्षक की नियुक्ति से रोकने या दोनों के लिए कार्रवाई होगी।

(7) उप-नियम (6) के अधीन पारित आदेश जब तक कि प्रभाग द्वारा अन्यथा उल्लिखित न हो और ऐसा करने के उचित कारण हों, तब तक जारी होने की तारीख से तीस दिनों के पश्चात् ही प्रभावी होगा।

(8) उप नियम (6) के अधीन पारित आदेश को उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार लेखापरीक्षक को दिया जाएगा और इस आदेश की प्रति निम्नलिखित को दी जाएगी –

- (i) सभी मामलों में (क) केंद्रीय सरकार; और (ख) भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान;
- (ii) धारा 139 की उपधारा (5) में संदर्भित कंपनी के मामले में भारत के नियंत्रक और महापरीक्षक को;
- (iii) सूचीबद्ध कंपनी के मामले में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड को;
- (iv) बैंककारी या गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक को;
- (v) भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण को किसी बीमा कंपनी के मामले में;
- (vi) ऐसे देश के संबंधित विनियामक को भारत से बाहर रहने वाले लेखापरीक्षक के मामले में, और इसे प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।”

अध्याय 10

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान किए गए कार्यकलाप

10.1 दिनांक 01.10.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि के दौरान किए गए महत्वपूर्ण कार्यकलापों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

- (i) एनएफआरए का गठन दिनांक 01.10.2018 को कारपोरेट कार्य मंत्रालय की राजपत्रित अधिसूचना संख्या का.आ.5099(अ) दिनांक 01.10.2018 द्वारा किया गया था।
- (ii) केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति रीति और सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2018, जो कारपोरेट कार्य मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना संख्या सा.का.नि.262(अ) तारीख 21.03.2018 द्वारा अधिसूचित है, के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने एनएफआरए के अध्यक्ष और 1 पूर्णकालिक सदस्य का चयन किया।

तदनुसार, श्री आर.श्रीधरन ने 01.10.2018 को एनएफआरए के अध्यक्ष के रूप में तथा श्री प्रसेनजीत मुखर्जी ने दिनांक 03.10.2018 को पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला।

- (iii) एनएफआरए के लिए भर्ती नियम तैयार करने के कार्यवाही शुरू कर दी गई थी। (कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा राजपत्र अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 369(अ) तारीख 16.05.2019 के द्वारा बाद में भर्ती नियमों को अधिसूचित किया गया।) इसी बीच सलाहाकारों/युवा पेशेवरों की नियुक्ति द्वारा एनएफआरए में भर्ती की गई। दिनांक 31.03.2019 के अनुसार एनएफआरए में अधिकारियों की स्टाँफ स्थिति निम्नानुसार है:

| क्रम संख्या | पदनाम | संख्या |
|-------------|--|--------|
| 1. | अध्यक्ष | 1 |
| 2. | पूर्णकालिक सदस्य | 1 |
| 3. | सलाहाकार (दिनांक 01.01.2019 को कार्यभार संभाला) | 1 |
| 4. | युवा पेशेवर (दिनांक 01.03.2019 को कार्यभार संभाला) | 1 |
| 5. | सचिवालयी स्टाँफ | 2 |

- (iv) एनएफआरए के कार्यों और कर्तव्यों को देखते हुए, एनएफआरए का चार्टर इसके कर्मचारियों हेतु सदैव सावधानी से अनुपालन हेतु सैद्धांतिक दिशा निदेश के रूप में तैयार किया गया था। इसकी एक प्रति अनुलग्नक-1 पर रखी गयी है।
- (v) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान एनएफआरए से संबंधित जारी की गई राजपत्र अधिसूचनाएं निम्नानुसार हैं:
- (क) केंद्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 132 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 01 अक्टूबर, 2018 को कारपोरेट कार्य मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना संख्या का.आ. 5099(अ) तारीख 01.10.2018 के द्वारा राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के गठन की तारीख के रूप में नियत किया।
- (ख) केंद्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना संख्या का.आ. 5098(अ) तारीख 01.10.2018 के द्वारा 01 अक्टूबर, 2018 को उस तारीख के रूप में नियत किया जब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 की उप-धारा (1) और उप-धारा (12) के उपबंध प्रवृत्त होंगे।
- (ग) केंद्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना संख्या का.आ.5385(अ) तारीख 24.10.2018 के द्वारा 01 अक्टूबर, 2018 को उस तारीख के रूप में नियत किया जब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 की उप-धारा (2), उप-धारा (4), उप-धारा (5), उप-धारा (10), उप-धारा (13), उप-धारा (14) और उप-धारा (15) के उपबंध प्रवृत्त होंगे।
- (घ) केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 132 की उपधारा (2) और (4), धारा 139 की उपधारा (1) और धारा 469 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नियम, 2018 बनाए गए। कारपोरेट कार्य मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1111(अ) तारीख 13 नवंबर, 2018 द्वारा इन्हें अधिसूचित किया गया था।

(ड) केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 132 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना संख्या का.आ. 1068(अ) तारीख 28.02.2019 द्वारा एनएफआरए के सात पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति की गई।

- (vi) एनएफआरए डोमेन के अंतर्गत आने वाली निकायों की पहचान कारपोरेट कार्य मंत्रालय और स्टॉक विनियम के डाटाबेस से करना।
- (vii) चूंकि एनएफआरए के गठन के साथ भारत में पहली बार सरकारी नियामक के माध्यम से लेखापरीक्षा विनियम का कार्य प्रारंभ हुआ है इसलिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) के गुणवत्ता पुनरीक्षा बोर्ड द्वारा अनुपालन की जाने वाली प्रक्रियों का अध्ययन किया गया और उक्त बोर्ड के साथ परामर्श किया गया।
- (viii) एनएफआरए वेबसाइट नीति नेशनल इंफोमेटिक्स सेंटर के साथ परामर्श से तैयार की गई थी।
- (ix) एनएफआरए नियम, 2018 के नियम 3 के अनुसार एनएफआरए और एनएफआरए डोमेन के अंतर्गत आने वाले निकायों के कर्तव्यों और कार्यों को देखते हुए, लेखापरीक्षा फाइलों के लिए अनुरोध किया गया था और चयनित निकायों के सांविधिक लेखापरीक्षकों से पुनरीक्षा हेतु इन्हें प्राप्त किया गया।
- (x) माननीय मद्रास उच्च न्यायालय और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में वर्ष 2018-19 में एनएफआरए के गठन को चुनौती देते हुए 2 कोर्ट केस दायर किए गए। कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में नोर्दन इंडिया सीए फेडरेशन बनाम यूओआई और अन्य डब्ल्यू.पी. (सी) 10537/2018 नामक मामले में प्रभावी रूप से प्रतिवाद किया गया और दिनांक 17.09.2019 के आदेश द्वारा इसे रद्द कर दिया गया।

माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में सीए वी. वेंकटा शिव कुमार बनाम यूओआई और अन्य डब्ल्यू.पी. (सी) 19704/2018 नामक मामला सुनवाई की अगली तारीख दिए बिना लंबित है। यह मामला कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा प्रभावी रूप से देखा जा रहा है।
- (xi) एनएफआरए के अध्यक्ष की अध्यक्षता में दिनांक 14.03.2019 को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) की बैठक का आयोजन किया गया। एनएफआरए ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अनुसरण में केंद्रीय सरकार को निम्नलिखित के संबंध में विभिन्न सिफारिशें की:-

क) इंड एएस 116 की अधिसूचना (लीज़ के लिए लेखांकन से संबंधित)

ख) इंड एएस 12, 19, 28 और इंड एएस 109 में संशोधन की अधिसूचना।

केंद्रीय सरकार द्वारा प्रासंगिक लेखांकन मानकों को कारपोरेट कार्य मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 273(अ) तारीख 30.03.2019 द्वारा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2019 के रूप में अधिसूचित किया गया। यह नियम दिनांक 01.04.2019 से प्रवृत्त हुए।

अध्याय 11

एनएफआरए के लेखापरीक्षित लेखे

एनएफआरए का गठन दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 को किया गया था। एनएफआरए के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में अक्टूबर, 2018 से मार्च, 2019 तक बजट का उपयोग स्वयं कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया। प्रारंभिक रूप से, वर्ष 2018 में एनएफआरए के शुरूआती चरण में अवसंरचना, श्रम शक्ति, कार्यकलापों आदि के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय और इसके विभिन्न प्रभागों द्वारा सहायता की गई थी। चूंकि, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया व्यय भारत के महालेखा नियंत्रक की लेखापरीक्षा के नियमित दायरे के अंतर्गत आता है इसलिए वर्ष 2018-19 के लिए एनएफआरए की पृथक रूप से कोई लेखापरीक्षा पुनरीक्षा अपेक्षित नहीं है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बजट विवरण, जिसके लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने व्यय किया था, का नीचे तालिका में उल्लेख किया गया है:-

(रू हजार में)

| शीर्ष संख्या | राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण | बजट अनुमान | संशोधित अनुमान | व्यय |
|-----------------|--|------------|----------------|---------|
| 34750010506 | | 104600 | 123000 | 128622 |
| 347500105060001 | वेतन | 7000 | 5000 | 0 |
| 347500105060002 | मजदूरी | 89 | 50 | 64 |
| 347500105060003 | समयोपरि भत्ता | 110 | 55 | 0 |
| 347500105060006 | चिकित्सा उपचार | 100 | 300 | 0 |
| 347500105060011 | घरेलू यात्रा व्यय | 1000 | 500 | 97 |
| 347500105060012 | विदेशी यात्रा व्यय | 500 | 100 | 0 |
| 347500105060013 | कार्यालय व्यय | 10908 | 1500 | 5034* |
| 347500105060014 | किराया दरें और कर | 84243 | 109121 | 121057* |
| 347500105060016 | प्रकाशन | 100 | 100 | 0 |
| 347500105060020 | अन्य प्रशासनिक व्यय | 200 | 200 | 21 |
| 347500105060026 | विज्ञापन और प्रचार | 250 | 100 | 0 |
| 347500105060028 | वृत्तिक सेवाएं | 100 | 5974 | 2349 |

*संशोधित अनुमान से अधिक राशि को पुनःविनियोजित किया गया था।

अनुलग्नक

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का चार्टर

- राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) का उद्देश्य भारत में सभी कारपोरेट वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में सतत सुधार करना है।
- कारपोरेट वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता का आंकलन और मूल्यांकन आवश्यक रूप से इनके द्वारा कानून और सांविधिक रूप से अधिसूचित लेखांकन मानकों और लेखापरीक्षा मानकों के अनुपालन से किया जाएगा।
- एनएफआरए सभी प्रकार की सार्वजनिक हित निकायों (पीआईई) और सभी आकार श्रेणियों लेखापरीक्षा फर्मों में कारपोरेट वित्तीय रिपोर्टिंग में सतत सुधार करने के लिए प्रयासरत है।
- एनएफआरए का उद्देश्य समग्रता, औद्योगिक, और सक्षमता के लिए एक नामी संगठन के रूप में बनना है।
- जो व्यक्ति एनएफआरए में कार्य करते हैं वे उच्चतम मानकों का अनुपालन करेंगे, कारपोरेट वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता के रूपांतरण का उद्देश्य रखेंगे और अपने कार्य उच्चस्तरीय पहल और निरंतर परिश्रम से करेंगे।
- **एनएफआरए निम्नलिखित के लिए जाना जाएगा :**
 - वस्तुनिष्ठता- सदस्यों या कर्मचारियों से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं, किसी पूर्वानुमान के विश्लेषण या किसी मामले में पूर्वापेक्षित पक्षपात के बिना सभी तथ्यों/मतों/राय में स्पष्टता।
 - समग्रता- सभी मामलों/व्यक्तियों/फर्मों में एक से अधिक मानकों की अनुपस्थिति, सभी तदात्मतः /समान मामलों के लिए एक समान आचरण ।
 - निष्पक्षता- अपने कार्य बिना डर या पक्षपात के करना।
 - स्वतंत्रता- सभी हितधारकों से समान दूरी बनाना।
 - निष्पक्षता- विशेष रूप से दूरदर्श के लाभ सहित अनुचित भार न डालना।
 - पारदर्शिता- निष्पक्ष और स्पष्ट प्रक्रियाएं।
- एनएफआरए की कार्यप्रणाली हमेशा व्यापार करने में आसानी और तीव्रता के प्रवर्तन की आवश्यकता को ध्यान में रखेगी, और समग्र जनहित द्वारा दिशानिर्देशित होगी और साथ ही इसके सभी कार्य इसके कानूनी अधिदेश के दायरे में और सख्त अनुपालन के साथ किए जायेंगे।

National Financial Reporting Authority (NFRA)

ANNUAL REPORT AND AUDITED ACCOUNTS 2018-19

This Annual Report has been prepared in view of Sub-section 15 of section 132 of the Companies Act 2013, which states thus:

“ The National Financial Reporting Authority shall prepare in such form and at such time for each financial year as may be prescribed its annual report giving a full account of its activities during the financial year and forward a copy thereof to the Central Government and the Central Government shall cause the annual report and the audit report given by the Comptroller and Auditor-General of India to be laid before each House of Parliament. ”

**National Financial Reporting Authority
7th – 8th Floor, Hindustan Times Building
K.G. Marg, New Delhi -110001**

Index

| Serial Number | Chapter | Page Number |
|---------------|---|-------------|
| 1. | Chapter 1 - Introduction | 32 |
| 2. | Chapter 2 - Constitution of National Financial Reporting Authority (NFRA) | 33-35 |
| 3. | Chapter 3 - Duties and Functions of the Authority | 36-37 |
| 4. | Chapter 4 - Classes of companies and bodies corporate to be governed by the Authority | 38 |
| 5. | Chapter 5 - Monitoring and enforcing compliance with accounting standards by NFRA | 39 |
| 6. | Chapter 6 - Monitoring and enforcing compliance with auditing standards by NFRA | 40 |
| 7. | Chapter 7 - Overseeing the quality of service and suggesting measures for improvement by NFRA | 41 |
| 8. | Chapter 8 - Power to investigate by NFRA | 42 |
| 9. | Chapter 9 - Disciplinary proceedings by NFRA | 43-45 |
| 10. | Chapter 10 - Activities undertaken during the Financial Year 18-19 | 46-48 |
| 11. | Chapter 11 - Audited Accounts of NFRA | 49 |
| 12. | Annexure | |
| | Annexure – I - Charter of National Financial Reporting Authority | 51 |

Chapter 1

Introduction

1.1 NFRA has been constituted as per Section 132 of the Companies Act, 2013 on 1.10.18.

1.2 The need for establishing NFRA has arisen on account of the need felt across various jurisdictions in the world, in the wake of accounting scams, to establish independent regulators, for enforcement of auditing standards and ensuring the quality of audits, and thereby, enhance investor and public confidence in financial disclosures of companies.

Chapter 2

Constitution of National Financial Reporting Authority (NFRA):

2.1 NFRA has been constituted as per Section 132 of the Companies Act, 2013 on 1.10.18. Various Gazette Notifications issued regarding constitution and functioning of NFRA during 2018-19 are as follows:

- i. In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 132 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government appointed the 1st October, 2018 as the date of constitution of National Financial Reporting Authority vide Ministry of Corporate Affairs Gazette Notification No. S.O. 5099(E) dated 1.10.18.
- ii. Central Government in exercise of Powers conferred by Sub-section (3) of Section 1 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), appointed 1st October, 2018 as the date on which the provisions of sub-sections (1) and (12) of section 132 of the Companies Act, 2013 to come into force vide Ministry of Corporate Affairs Gazette Notification No. S.O. 5098 (E). dated 1.10.18.
- iii. Central Government in exercise of Powers conferred by Sub section (3) of Section 1 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), appointed 24th October, 2018 as the date on which the provisions of sub-sections (2), (4), (5), (10), (13), (14) and (15) of section 132 of the Companies Act, 2013 to come into force vide Ministry of Corporate Affairs Gazette Notification No. S.O. 5385 (E). dated 24.10.18.
- iv. In exercise of the powers conferred under sub-sections (2) and (4) of section 132, sub-section (1) of section 139 and sub-section (1) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government made National Financial Reporting Authority Rules, 2018. The same were notified vide Ministry of Corporate Affairs Gazette Notification No. G.S.R. 1111(E) dated 13.11.18.
- v. Central Government in exercise of Powers conferred by Sub-section (3) of Section 132 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), appointed seven part time members of NFRA vide Ministry of Corporate Affairs Gazette Notification No. S.O. 1068 (E). dated 28.2.19.

2.2 Composition of the Authority:

2.2.1 Sub-section (3) of Section 132 of the Companies Act, 2013, states thus:

“The National Financial Reporting Authority shall consist of a chairperson, who shall be a person of eminence and having expertise in accountancy, auditing, finance or law to be appointed by the Central Government and such other members not exceeding fifteen consisting of part-time and full-time members as may be prescribed:

Provided that the terms and conditions and the manner of appointment of the chairperson and members shall be such as may be prescribed:

Provided further that the chairperson and members shall make a declaration to the Central Government in the prescribed form regarding no conflict of interest or lack of independence in respect of his or their appointment:

Provided also that the chairperson and members, who are in full-time employment with National Financial Reporting Authority shall not be associated with any audit firm

(including related consultancy firms) during the course of their appointment and two years after ceasing to hold such appointment.”

Note: Sub-section 3 of section 132 has subsequently been amended vide Ministry of Corporate Affairs Gazette Notification No. 41 dated 31.7.19. The amendment with regard to Sub-section 3 of Companies Act 2013 states thus:

“after sub-section (3), the following sub-sections shall be inserted, namely:—

“(3A) Each division of the National Financial Reporting Authority shall be presided over by the Chairperson or a full-time Member authorised by the Chairperson.

(3B) There shall be an executive body of the National Financial Reporting Authority consisting of the Chairperson and full-time Members of such Authority for efficient discharge of its functions under sub-section (2) [other than clause (a)] and sub-section (4).”

2.3 The National Financial Reporting Authority (Manner of Appointment and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and Members) Rules, 2018 were notified vide Ministry of Corporate Affairs Gazette Notification No. G.S.R. 262(E). dated 21.3.18. Rule 3 of the said rules states thus:

“Composition of Authority.-

(1) The Authority shall consist of the following persons to be appointed by the Central Government, namely:-

(a) a chairperson;

(b) three full time members; and

(c) nine part time members.

(2) The chairperson shall be a person of eminence, ability, integrity and standing and having expertise and experience of not less than twenty-five years in the field of accountancy, auditing, finance or law.

(3) A full-time member shall be a person of ability, integrity and standing and having expertise and experience of not less than twenty years in the field of accountancy, auditing, finance or law.

(4) The chairperson and all members, before being appointed, shall submit a declaration to the Central Government confirming that they have no conflict of interest or lack of independence in respect of such appointment as chairperson or members in Form I annexed to these rules, failing which their appointment shall not be considered.

(5) The chairperson and full-time members, shall not be associated with any audit firm including related consultancy firms during the course of their appointment and two years after ceasing to hold such appointment.

(6) A part-time member shall be a person who shall not, have any such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a part-time member.”

2.4 Shri R Sridharan was appointed as Chairperson NFRA and Dr. Prasenjit Mukherjee was appointed as member NFRA on 1.10.18. (Dr. Prasenjit Mukherjee joined on 3.10.18).

2.5 Central Government in exercise of Powers conferred by Sub-section (3) of Section 132 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), appointed seven part time members of NFRA vide Ministry of Corporate Affairs Gazette Notification No. S.O. 1068 (E). dated 28.2.19. The said Gazette Notification states thus:

“In exercise of powers conferred by sub-section (3) of section 132 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby appoint the following persons as part-time members of the National Financial Reporting Authority (NFRA) with immediate effect, namely:-

- (i) Shri K V R Murty, Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs;*
- (ii) Shri Ram Mohan Johri, Director General, International Centre for Information Systems and Audit (ICISA), Comptroller & Auditor General;*
- (iii) Ms. Sudha Balakrishnan, Chief Financial Officer, Reserve Bank of India;*
- (iv) Shri Amarjeet Singh, Executive Director, Securities and Exchange Board of India;*
- (v) President, Institute of Chartered Accountants of India (ICAI);*
- (vi) Chairperson, Accounting Standards Board, Institute of Chartered Accountants of India (ICAI);*
- (vii) Chairperson, Auditing and Assurance Standards Board, Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).”*

2.6 Action is underway for staffing of NFRA.

Chapter 3

Duties and Functions of the Authority

3.1 Sub-sections 2 and 4 of section 132 of the Companies Act 2013, define the duties and functions of NFRA.

3.2 Sub-section 2 of section 132 of the Companies Act 2013, states thus:

“Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the National Financial Reporting Authority shall—

(a) make recommendations to the Central Government on the formulation and laying down of accounting and auditing policies and standards for adoption by companies or class of companies or their auditors, as the case may be;

(b) monitor and enforce the compliance with accounting standards and auditing standards in such manner as may be prescribed;

(c) oversee the quality of service of the professions associated with ensuring compliance with such standards, and suggest measures required for improvement in quality of service and such other related matters as may be prescribed; and

(d) perform such other functions relating to clauses (a), (b) and (c) as may be prescribed.”

3.3 Sub-section 4 of section 132 of the Companies Act 2013, states thus:

“Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the National Financial Reporting Authority shall—

(a) have the power to investigate, either suo motu or on a reference made to it by the Central Government, for such class of bodies corporate or persons, in such manner as may be prescribed into the matters of professional or other misconduct committed by any member or firm of chartered accountants, registered under the Chartered Accountants Act, 1949:

Provided that no other institute or body shall initiate or continue any proceedings in such matters of misconduct where the National Financial Reporting Authority has initiated an investigation under this section;

(b) have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908, while trying a suit, in respect of the following matters, namely:—

(i) discovery and production of books of account and other documents, at such place and at such time as may be specified by the National Financial Reporting Authority;

(ii) summoning and enforcing the attendance of persons and examining them on oath;

- (iii) *inspection of any books, registers and other documents of any person referred to in clause (b) at any place;*
- (iv) *issuing commissions for examination of witnesses or documents;*

(c) where professional or other misconduct is proved, have the power to make order for—

(A) imposing penalty of—

(I) not less than one lakh rupees, but which may extend to five times of the fees received, in case of individuals; and

(II) not less than ten lakh rupees, but which may extend to ten times of the fees received, in case of firms;

(B) debarring the member or the firm from engaging himself or itself from practice as member of the Institute of Chartered Accountant of India referred to in clause (e) of sub-section (1) of section 2 of the Chartered Accountants Act, 1949 for a minimum period of six months or for such higher period not exceeding ten years as may be decided by the National Financial Reporting Authority.

Explanation.—For the purposes of his sub-section, the expression "professional or other misconduct" shall have the same meaning assigned to it under section 22 of the Chartered Accountants Act, 1949."

Note: Penalties which can be imposed by NFRA have subsequently been amended vide THE COMPANIES (AMENDMENT) ACT, 2019 (NO. 22 OF 2019). THE COMPANIES (AMENDMENT) ACT, 2019 has been notified vide Ministry of Corporate Affairs Gazette Notification No. 41 dated 31.7.19. The amendment with regard to penalties states thus:

"in sub-section (4), in clause (c), for sub-clause (B), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

"(B) debarring the member or the firm from—

- I. being appointed as an auditor or internal auditor or undertaking any audit in respect of financial statements or internal audit of the functions and activities of any company or body corporate; or*
- II. performing any valuation as provided under section 247,*

for a minimum period of six months or such higher period not exceeding ten years as may be determined by the National Financial Reporting Authority."

Chapter 4

Classes of companies and bodies corporate to be governed by the Authority

4.1 Classes of companies and bodies corporate to be governed by the Authority have been prescribed vide Sub-Rule (1) of Rule 3 of National Financial Reporting Authority Rules, 2018.

4.2 Sub-Rule (1) of Rule 3 of NRFA Rules 2018, states thus:

“Classes of companies and bodies corporate governed by the Authority.—

(1) The Authority shall have power to monitor and enforce compliance with accounting standards and auditing standards, oversee the quality of service under sub-section (2) of section 132 or undertake investigation under sub-section (4) of such section of the auditors of the following class of companies and bodies corporate, namely: -

(a) companies whose securities are listed on any stock exchange in India or outside India;

(b) unlisted public companies having paid-up capital of not less than rupees five hundred crores or having annual turnover of not less than rupees one thousand crores or having, in aggregate, outstanding loans, debentures and deposits of not less than rupees five hundred crores as on the 31st March of immediately preceding financial year;

(c) insurance companies, banking companies, companies engaged in the generation or supply of electricity, companies governed by any special Act for the time being in force or bodies corporate incorporated by an Act in accordance with clauses (b), (c), (d), (e) and (f) of sub-section (4) of section 1 of the Act;

(d) any body corporate or company or person, or any class of bodies corporate or companies or persons, on a reference made to the Authority by the Central Government in public interest; and

(e) a body corporate incorporated or registered outside India, which is a subsidiary or associate company of any company or body corporate incorporated or registered in India as referred to in clauses (a) to (d), if the income or networth of such subsidiary or associate company exceeds twenty per cent. of the consolidated income or consolidated networth of such company or the body corporate, as the case may be, referred to in clauses (a) to (d).”

Chapter 5

Monitoring and enforcing compliance with accounting standards by NFRA

5.1 Monitoring and enforcing compliance with accounting standards by NFRA have been prescribed vide Rule 7 of NFRA Rules, 2018, which states thus:

“Monitoring and enforcing compliance with accounting standards.—

(1) For the purpose of monitoring and enforcing compliance with accounting standards under the Act by a company or a body corporate governed under rule 3, the Authority may review the financial statements of such company or body corporate, as the case may be, and if so required, direct such company or body corporate or its auditor by a written notice, to provide further information or explanation or any relevant documents relating to such company or body corporate, within such reasonable time as may be specified in the notice.

(2) The Authority may require the personal presence of the officers of the company or body corporate and its auditor for seeking additional information or explanation in connection with the review of the financial statements of such company or body corporate.

(3) The Authority shall publish its findings relating to non-compliances on its website and in such other manner as it considers fit, unless it has reasons not to do so in the public interest and it records the reasons in writing.

(4) Where the Authority finds or has reason to believe that any accounting standard has or may have been violated, it may decide on the further course of investigation or enforcement action through its concerned Division.”

Chapter 6

Monitoring and enforcing compliance with auditing standards by NFRA

6.1 Monitoring and enforcing compliance with auditing standards by NFRA have been prescribed vide Rule 8 of NFRA Rules, 2018, which states thus:

“Monitoring and enforcing compliance with auditing standards.—

(1) For the purpose of monitoring and enforcing compliance with auditing standards under the Act by a company or a body corporate governed under rule 3, the Authority may: –

(a) review working papers (including audit plan and other audit documents) and communications related to the audit;

(b) evaluate the sufficiency of the quality control system of the auditor and the manner of documentation of the system by the auditor; and

(c) perform such other testing of the audit, supervisory, and quality control procedures of the auditor as may be considered necessary or appropriate.

(2) The Authority may require an auditor to report on its governance practices and internal processes designed to promote audit quality, protect its reputation and reduce risks including risk of failure of the auditor and may take such action on the report as may be necessary.

(3) The Authority may seek additional information or may require the personal presence of the auditor for seeking additional information or explanation in connection with the conduct of an audit.

(4) The Authority shall perform its monitoring and enforcement activities through its officers or experts with sufficient experience in audit of the relevant industry.

(5) The Authority shall publish its findings relating to non-compliances on its website and in such other manner as it considers fit, unless it has reasons not to do so in the public interest and it records the reasons in writing.

(6) The Authority shall not publish proprietary or confidential information, unless it has reasons to do so in the public interest and it records the reasons in writing.

(7) The Authority may send a separate report containing proprietary or confidential information to the Central Government for its information.

(8) Where the Authority finds or has reason to believe that any law or professional or other standard has or may have been violated by an auditor, it may decide on the further course of investigation or enforcement action through its concerned Division.”

Chapter 7

Overseeing the quality of service and suggesting measures for improvement by NFRA

7.1 Overseeing the quality of service and suggesting measures for improvement by NFRA have been prescribed vide Rule 9 of NFRA Rules, 2018, which states thus:

“Overseeing the quality of service and suggesting measures for improvement.—

(1) On the basis of its review, the Authority may direct an auditor to take measures for improvement of audit quality including changes in their audit processes, quality control, and audit reports and specify a detailed plan with time-limits.

(2) It shall be the duty of the auditor to make the required improvements and send a report to the Authority explaining how it has complied with the directions made by the Authority.

(3) The Authority shall monitor the improvements made by the auditor and take such action as it deems fit depending on the progress made by the auditor.

(4) The Authority may refer cases with regard to overseeing the quality of service of auditors of companies or bodies corporate referred to in rule 3 to the Quality Review Board constituted under the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949) or call for any report or information in respect of such auditors or companies or bodies corporate from such Board as it may deem appropriate.

(5) The Authority may take the assistance of experts for its oversight and monitoring activities.”

Chapter 8

Power to investigate by NFRA

8.1 Power to investigate by NFRA has been prescribed vide Rule 10 of NFRA Rules, 2018, which states thus:

“Power to investigate.—

(1) Where the Authority has-

(a) received any reference from the Central Government for investigation into any matter of professional or other misconduct under sub-section (4) of section 132 of the Act;

(b) decided to undertake investigation into any matter on the basis of its compliance or oversight activities; or

(c) decided to undertake suo motu investigation into any matter of professional or other misconduct, after recording reasons in writing for this purpose,

it shall forward the matter to its Division dealing with enforcement for carrying out investigation and other action.

(2) If, during the investigation, the Authority has evidence to believe that any company or body corporate has not complied with the requirements under the Act or rules which involves or may involve fraud amounting to rupees one crore or more, it shall report its findings to the Central Government.

(3) On the commencement of these rules-

(a) the action in respect of cases of professional or other misconduct against auditors of companies referred to in rule 3 shall be initiated by Authority and no other institute or body shall initiate any such proceedings against such auditors:

Provided that no other institute or body shall initiate or continue any proceedings in such matters of misconduct where the Authority has initiated an investigation under this rule;

(b) the action in respect of cases of professional or other misconduct against auditors of companies or bodies corporate other than those referred to in rule 3 shall continue to be proceeded with by the Institute of Chartered Accountants of India as per provisions of the Chartered Accountants Act, 1949 and the regulations made thereunder.”

Chapter 9

Disciplinary proceedings by NFRA

9.1 Disciplinary proceedings by NFRA have been prescribed vide Rule 11 of NFRA Rules, 2018, which states thus:

“Disciplinary proceedings.—

(1) Based on the reference received from the Central Government or findings of its monitoring or enforcement or oversight activities, or on the basis of material otherwise available on record, if the Authority believes that sufficient cause exists to take actions permissible under sub-section (4) of section 132, it shall refer the matter to the concerned division, which shall cause a show-cause notice to be issued to the auditor.

(2) The show-cause notice shall be in writing, and shall, inter alia, state-

(a) the provisions of the Act or rules under which it has been issued;

(b) the details of the alleged facts;

(c) the details of the evidence in support of the alleged facts;

(d) the provisions of the Act, rules or the accounting standards or auditing standards thereunder allegedly violated, or the manner in which the public interest is allegedly affected;

(e) the actions that the Authority proposes to take or the directions it proposes to issue if the allegations are established;

(f) the time limit and the manner in which the auditor is required to respond to the show-cause notice;

(g) the consequences of failure to respond to the show-cause notice; and

(h) the procedure to be followed for disposal of the show-cause notice.

(3) The show-cause notice shall enclose copies of documents relied upon and extracts of relevant portions from the report of investigation or other records.

(4) The show-cause notice shall be served on the auditor in the following manner, namely -

(a) by sending it to the auditor at the address provided by him or provided by the Institute of Chartered Accountants of India (if required by the Authority) by registered post with acknowledgement due; or

(b) by an appropriate electronic means to the email address of the auditor provided by him or it or provided by the Institute of Chartered Accountants of India (if required by the Authority):

Provided that where the auditor is a firm –

(a) a notice to a firm shall be deemed to be a notice to all the partners or employees of that firm as on the date of service of notice;

(b) the notice shall call upon the firm to disclose the name or names of the partner or partners concerned who shall be responsible for answering the allegations;

(c) the partner whose name is disclosed by the firm shall be responsible for answering the notice against the firm, and if no partner, whether erstwhile or present, of the firm owns responsibility for the allegations made against the firm, then the firm as a whole shall be responsible for answering the allegations, and all the partners and employees of that firm as on the date of occurrence of alleged misconduct, shall be responsible for answering the allegations.

(5) The Division shall dispose of the show-cause notice within a period of ninety days of the assignment through a summary procedure as may be specified by the Authority, by a reasoned order in adherence to the principles of natural justice including where necessary or appropriate an opportunity of being heard in person, and after considering the submissions, if any, made by the auditor, the relevant facts and circumstances, and the material on record.”

Note: Sub-Rule 5 of Rule 11 of NFRA Rules 2018 has subsequently been amended vide Ministry of Corporate Affairs Gazette Notification No. G.S.R. 636(E) dated 5.9.19. The amendment with regard to Rule 11 states thus:

“ In the said rules, in sub-rule (5) of rule 11, the following provisos shall be inserted, namely:-

Provided that where the disposal does not take place within the said period, the Division shall record the reasons for not disposing off the show-cause notice within the said period, and the chairperson, may, after taking into account the reasons so recorded, extend the aforesaid period by such additional period not exceeding ninety days as he may consider necessary:

Provided further that the chairperson may, if he thinks fit, grant the said extension of period more than once.”

“(6) The order disposing of a show-cause notice may provide for-

(a) no action;

(b) caution;

(c) action for imposing penalty against auditor under sub-clause (A) of clause (c) of sub-section (4) of section 132 or for debarring the auditor from engaging as such under sub-clause (B) of clause (c) of sub-section (4) of section 132 or both.

(7) The order passed under sub-rule (6) shall not become effective until thirty days have elapsed from the date of issue of the order unless the Division states otherwise in the order along with the reason for the same.

(8) The order passed under sub-rule (6) shall be served on the auditor in the manner specified in sub-rule (3) and a copy of the same shall be sent

(i) in all cases to - (a) the Central Government; and (b) the Institute of Chartered Accountants of India;

(ii) in the case of a company referred to in sub-section (5) of section 139 to the Comptroller and Auditor General of India;

(iii) in the case of a listed company to the Securities and Exchange Board of India; (iv) in the case of a bank or a non-banking finance company to the Reserve Bank of India;

(iv) in the case of a bank or a non-banking finance company to the Reserve Bank of India;

(v) in the case of an insurance company to the Insurance Regulatory and Development Authority of India;

(vi) in case the auditor is resident outside India to concerned regulator of such country;

and the same shall be published on the website of the Authority.”

Chapter 10

Activities undertaken during the Financial Year 18-19

10.1 The details of salient activities undertaken during the period 1.10.18 till 31.3.19 are as follows:

(i) NFRA was constituted w.e.f. 1.10.18 vide Ministry of Corporate Affairs Gazette Notification No. S.O. 5099(E) dated 1.10.18.

(ii) The Central Government selected Chairperson and 1 Full time member of NFRA in accordance with the National Financial Reporting Authority (Manner of Appointment and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and Members) Rules, 2018 notified vide Ministry of Corporate Affairs Gazette Notification No. G.S.R. 262(E). dated 21.3.18.

Accordingly, Shri R. Sridharan joined as Chairperson NFRA on 1.10.18. Dr. Prasenjit Mukherjee joined as full time member on 3.10.18.

(iii) The action for formulation of Recruitment Rules for NFRA was initiated. (Recruitment rules have been subsequently notified by Ministry of Corporate Affairs vide Gazette Notification No. G.S.R 369 (E) dated 16.5.19.) In the meantime staffing in NFRA was done by engaging consultants / Young Professionals. As on 31.3.19 the staff position of officers in NFRA was as follows:

| S.N. | Designation | Number |
|------|--|--------|
| 1. | Chairperson | 1 |
| 2. | Full Time Member | 1 |
| 3. | Consultant (Joined on 1.1.19) | 1 |
| 4. | Young Professional (Joined on 1.3.19) | 1 |
| 5. | Secretarial staff | 2 |

(iv) In light of the functions and duties of NFRA, Charter of NFRA was formulated as a guiding principle for its staff for meticulous adherence at all times. Copy of the same is placed at **Annexure - I**.

(v) Gazette Notifications issued by Ministry of Corporate Affairs during the Year 2018-19 regarding NFRA are as follows:

- a) In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 132 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government appointed the 1st October, 2018 as the date of constitution of National Financial Reporting Authority vide Ministry of Corporate Affairs Gazette Notification No. S.O. 5099(E) dated 1.10.18.
- b) Central Government in exercise of Powers conferred by Sub-section (3) of Section 1 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), appointed 1st October, 2018 as the date on which the provisions of sub-sections (1) and (12) of section 132 of the Companies Act, 2013 to come into force vide Ministry of Corporate Affairs Gazette Notification No. S.O. 5098 (E). dated 1.10.18.
- c) Central Government in exercise of Powers conferred by Sub section (3) of Section 1 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), appointed 24th October, 2018 as the date on which the provisions of sub-sections

(2), (4), (5), (10), (13), (14) and (15) of section 132 of the Companies Act, 2013 to come into force vide Ministry of Corporate Affairs Gazette Notification No. S.O. 5385 (E). dated 24.10.18.

- d) In exercise of the powers conferred under sub-sections (2) and (4) of section 132, sub-section (1) of section 139 and sub-section (1) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government made National Financial Reporting Authority Rules, 2018. The same were notified vide Ministry of Corporate Affairs Gazette Notification No. G.S.R. 1111(E) dated 13th November, 2018.
- e) Central Government in exercise of Powers conferred by Sub-section (3) of Section 132 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), appointed seven part time members of NFRA vide Ministry of Corporate Affairs Gazette Notification No. S.O. 1068 (E) dated 28.2.19.

(vi) Identification of entities falling under NFRA domain from the database of Ministry of Corporate Affairs and Stock Exchanges.

(vii) Since the task of Audit regulation through Government regulator commenced for the 1st time in India with the formulation of NFRA, the processes followed by the Quality Review Board of Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) were studied and discussed with the said Board.

(viii) NFRA Website policy was formulated in consultation with National Informatics Centre.

(ix) In light of the duties and functions of the Authority and entities under NFRA domain as per Rule 3 of NFRA Rules 2018, Audit files were requested and received from the Statutory Auditors of select entities for review.

(x) Two court cases were filed challenging the constitution of NFRA in the year 2018-19 one each in Hon`ble Madras High Court and Hon`ble Delhi High Court. The matter in the Hon`ble Delhi High Court titled Northern India CA Federation v/s UOI & others W.P. (C) 10537/2018 was effectively defended by Ministry of Corporate Affairs and has been dismissed vide order dated 17.9.2019.

The matter in Hon`ble Madras High Court titled CA V. Venkata Siva Kumar v/s UOI & others WP/19704/2018 is pending without giving next date of hearing. The matter is being effectively pursued by Ministry of Corporate Affairs.

(xi) A meeting of National Financial Reporting Authority (NFRA) was held on 14.3.2019 under the Chairmanship of Chairperson NFRA. NFRA gave various recommendations to the Central Government in terms of Section 133 Companies Act 2013 regarding the following:

- a) Notification of Ind AS 116 (pertain to Accounting for Leases)

b) Notification of amendments to Ind AS 12, 19, 28 and Ind AS 109.

Relevant Accounting Standards were notified by the Central Government as Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2019 vide Ministry of Corporate Affairs Gazette Notification No. G.S.R. 273 (E) dated 30.3.19. The said rules came into force on 1.4.19.

Chapter 11

AUDITED ACCOUNTS OF NFRA

NFRA was established on 01st October, 2018. The Budget for NFRA for the month of October, 2018 upto March, 2019 in the financial year 2018-19 was exercised directly by M/o Corporate Affairs. Initially at inception stage of NFRA in 2018, infrastructure, manpower, activities etc. were supported by M/o Corporate Affairs and its various Divisions. Since, the expenditure incurred through M/o Corporate Affairs comes under the regular purview of Audit of CAG of India, hence no separate Audit review of NFRA for the year 2018-19 is required. However, the budget statement for the financial year 2018-19 for which expenditure were incurred by M/o Corporate Affairs is mentioned in the table hereunder:-

(Rs. In thousands)

| Head No. | NATIONAL FINANCIAL REPORTING AUTHORITY | Budget Estimate | Revised Estimate | Expenditure |
|-----------------|--|-----------------|------------------|-------------|
| 34750010506 | | 104600 | 123000 | 128622 |
| 347500105060001 | SALARIES | 7000 | 5000 | 0 |
| 347500105060002 | WAGES | 89 | 50 | 64 |
| 347500105060003 | OVERTIME ALLOWANCE | 110 | 55 | 0 |
| 347500105060006 | MEDICAL TREATMENT | 100 | 300 | 0 |
| 347500105060011 | DOMESTIC TRAVEL EXPENSES | 1000 | 500 | 97 |
| 347500105060012 | FOREIGN TRAVEL EXPENSES | 500 | 100 | 0 |
| 347500105060013 | OFFICE EXPENSES | 10908 | 1500 | 5034* |
| 347500105060014 | RENTS, RATES AND TAXES | 84243 | 109121 | 121057* |
| 347500105060016 | PUBLICATIONS | 100 | 100 | 0 |
| 347500105060020 | OTHER ADMINISTRATIVE | 200 | 200 | 21 |
| 347500105060026 | ADVERTISING AND PUBLICITY | 250 | 100 | 0 |
| 347500105060028 | PROFESSIONAL SERVICES | 100 | 5974 | 2349 |

***The amount in excess of Revised Estimate was re-appropriated.**

Annexure

Charter of National Financial Reporting Authority

- The Objective of the National Financial Reporting Authority (NFRA) is to continuously improve the quality of all corporate financial reporting in India.
- The quality of corporate financial reporting will be measured and evaluated essentially by its compliance with the law and the statutorily notified accounting standards and auditing standards.
- NFRA will strive for continuous improvement of corporate financial reporting across all types of Public Interest Entities (PIEs) and across all size categories of audit firms.
- NFRA aims to be an organization noted for Integrity, Industry, and Competence.
- Persons who work for NFRA will adhere to the highest standards of uncompromising integrity, possess a vision of transforming the quality of corporate financial reporting, and display high levels of initiative and an unflagging drive for their work.
- **NFRA aspires to be known for:**
 - Objectivity - No subjective action from either members or staff, openness to all facts/views/opinions without any pre-conceived conclusions or pre-judging any matter.
 - Integrity – Across cases/persons/firms, absence of multiple standards, uniform treatment of all those identically/similarly placed.
 - Impartiality – Discharge of its functions without fear or favour.
 - Independence – Equidistant from all stakeholders.
 - Fairness – Not imposing unfair burdens especially with the benefit of hindsight
 - Transparency– Fair and open processes.
- NFRA’s functioning will at all times be mindful of the need to promote the ease and speed of doing business, and will be guided always by the overall public interest, with all its actions being strictly anchored by and lying within, its legal mandate.